संख्या 118/2015/1894/41-2015-91 यो0/15

प्रेषक,

अमृत अभिजात,
सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

महानिदेशक,
पर्यटन, उ0प्र0,
लखनऊ।

पर्यटन अनुभाग **लखनऊ दिनांक 11 अगस्त, 2015**

विषयः- आगरा में ताजमहल के पूर्वी गेट के निकट स्थित शिल्पग्राम को ध्वस्तीकरण के उपरान्त नये सिरे से ताज ओरिएन्टेशन सेन्टर, शिल्पग्राम के निर्माण की परियोजना के क्रियान्वयन के सम्बन्ध में।

महोदय

आगरा में ताजमहल के पूर्वी द्वार से लगभग 900 मी0 पूर्व में स्थित शिल्पग्राम परिसर से समस्त पर्यटकगण बैटरी-आपरेटेड बसों/गोल्फ कार्टस से ताजमहल के पूर्वी द्वार तक जाते हैं। लाखों की संख्या में देशी-विदेशी पर्यटकों के अतिरिक्त देश-विदेश के अति विशिष्ठ अतिथि एवं राष्ट्राध्यक्षगण आदि भी इसी स्थल से ताज-दर्शन हेतु जाते हैं, किन्तु शिल्पग्राम में वर्तमान में उपलब्ध उक्त सुविधाएं सुनियोजित स्वरूप में नही हैं, बल्कि पृथक-पृथक समयों पर रेन्डम तरीके से सृजित होने के कारण शिल्पग्राम का एक समेकित एवं सुनियोजित अन्तर्राष्ट्रीय स्वरूप होना चाहिए, उसका सर्वथा अभाव है। विश्व-प्रसिद्ध ताज महल के सानिध्य में स्थित होने के कारण शिल्पग्राम की प्लानिंग एवं डिजाइनिंग एक "होलिस्टिक मैनर" में 'स्टेट आफ दी आर्ट प्रोडक्ट' के रूप में ताजमहल के स्टेट्स के अनुरूप किया जाना, जिससे यहां के शिल्पियों को अन्तर्राष्ट्रीय स्तर का मंच प्रदान किया जा सके।

2- उक्त के परिप्रेक्ष्य में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि शासन स्तर पर सम्यक विचारोपरान्त ताजमहल के पूर्वी द्वार से लगभग 900 मीटर पूर्व में ताज ईस्ट गेट रोड पर स्थित शिल्पग्राम परिसर में वर्तमान में स्थित पार्किंग, सुलभ-प्रसाधन, पेयजल सुविधा, ताजमहल का प्रवेश टिकट काउण्टर, पर्यटन निगम का रेस्टोरेन्ट, बियर-बार, शिल्पियों के लिये हट्स एवं ताज महोत्सव के लिये स्टेज, ग्रीन रूम, शापिंग काम्प्लेक्स, ओपेन एयर थिएटर, शिल्पियों के लिये डारमेट्री भवन आदि को आवश्यकतानुसार हटाये जाने/डिस्मेन्टल किये जाने के पश्चात निम्न शर्तो एवं प्रतिबन्धों के अधीन नये सिरे से ताज ओरिएन्टेशन सेन्टर के निर्माण हेतु निर्णय लिया गया है:-

(1) पूर्व निर्मित पुराने भवनों/स्ट्रक्चर के ध्वस्तीकरण हेतु वित्तीय हस्तपुस्तिका खण्ड-1 व खण्ड-5 लोक निर्माण विभाग के अनुरक्षण मैनुअल पार्ट-2 (भवन), उ0प्र0 कार्य नियमावली 1975 तथा अन्य सुसंगत प्राविधानों का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

http://shasanadesh.up.nic.in

(2) उक्त परियोजना के क्रियान्वयन हेतु नामित कार्यदायी संस्था उ0प्र0 राजकीय निर्माण निगम द्वारा रू0 25139.81 लाख के गठित आगणन के सापेक्ष व्यय वित्त समिति की बैठक दिनांक 02 जुलाई, 2015 को परीक्षणोपरान्त रू0 22647.98 लाख के व्यय पर सैद्धान्तिक सहमति प्रदान की गयी।

(3) परियोजना के निर्माण हेतु बजट व्यवस्था राज्य सरकार के अवस्थापना निधि से किया जायेगा।

(4) उपरोक्त् योजना में प्रयुक्त 11.50 एकड भूमि उद्योग विभाग की है, जिसे पर्यटन विभाग को नि:शुल्क हस्तान्तरित किया जायेगा।

(5) परियोजना के क्रियान्वयन हेतु मा0 न्यायालय के आदेशों को ध्यान में रखते हुये आवश्यक कार्य कराये जायेगें।

(6) अनुमोदित परियोजना लागत के सम्बन्ध में व्यय वित्त समिति द्वारा दिये गये सुझाव/निर्देशों का अनिवार्यत: अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

(7) भवन निर्माण के कतिपय विशिष्टियां जैसे कार्पेट फ्लोरिंग, सस्पेन्डेड स्पाइडर ग्लेजिंग सिस्टम, फेब्रिक वाल पेनलिंग, मार्बल स्टोन, जाली, वुडेन सीलिंग, रेड सैण्ड स्टोन फ्लोरिंग आदि जोकि लोक निर्माण विभाग की निर्धारित विशिष्टियों से उच्च है, के अनुसार निर्माण कार्य कराया जायेगा।

3- परियोजना के अनुश्रवण एवं मांनीटरिंग किये जाने हेतु एतद्वारा निम्नानुसार स्टेट लेवल एवं फील्ड लेवल कमेटी का गठन किया जाता है:-

<u>(क) स्टेट लेवल कमेटी</u>

1	मुख्य सचिव, उ0प्र0 शासन	अध्यक्ष
2	प्रमुख सचिव, वित्त विभाग, उ0प्र0 शासन	सदस्य
3	प्रमुख सचिव, नियोजन, उ0प्र0 शासन	सदस्य
4	प्रमुख सचिव, नगर विकास, उ0प्र0 शासन	सदस्य
5	प्रमुख सचिव, आवास, उ0प्र0 शासन	सदस्य
6	प्रमुख सचिव/सचिव, वन, उ0प्र0 शासन	सदस्य
7	प्रमुख सचिव, लोक निर्माण विभाग, उ0प्र0 शासन	सदस्य
8	प्रमुख सचिव, उद्योग विभाग, उ0प्र0 शासन	सदस्य
9	प्रमुख सचिव, संस्कृति विभाग, उ0प्र0 शासन	सदस्य
10	आयुक्त, आगरा मण्डल, आगरा	सदस्य
11	निर्माण इकाई/कार्यदायी संस्था के प्रबन्ध निदेशक/विभागाध्यक्ष	सदस्य
12	भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग, भारत सरकार के प्रतिनिधि (आवश्यकतानुसार)	विशेष आमंत्री
13	राष्ट्रीय अभिलेखागार, भारत सरकार के प्रतिनिधि (आवश्यकतानुसार)	विशेष आमंत्री
14	प्रमुख सचिव/सचिव, पर्यटन, उ0प्र0 शासन	सदस्य सचिव

<u>(ख) फील्ड लेवल कमेटी</u>

1	आयुक्त, आगरा मण्डल, आगरा	अध्यक्ष

http://shrinadesh.upnic.in

2	महानिदेशक, पर्यटन, उ0प्र0 शासन।	सदसय
3	निदेशक, म्यूजियम, ए0एस0आई0 मुख्यालय, नई दिल्ली	सदस्य
4	जिलाधिकारी, आगरा	सदस्य
5	उपाध्यक्ष , आगरा विकास प्राधिकरण, आगरा	सदस्य
6	अधीक्षण पुरातात्वविद्, ए0एस0आई0, आगरा सर्किल	सदस्य
7	डी0एफ0ओ0, आगरा	सदस्य
8	नगर आयुक्त, आगरा, नगर निगम, आगरा	सदस्य
9	निर्माण इकाई/ कार्यदायी संस्था का प्रबन्ध निदेशक/परियोजना प्रबन्धक	सदस्य
10	उ0प्र0 पर्यटन विभाग का क्षेत्रीय अधिकारी	सदस्य सचिव

4- उक्त परियोजना के निर्माण कार्य पूर्ण होने के पश्चात निर्माण की गुणवत्ता एवं अनुरक्षण की व्यवस्था सुनिश्चित किये जाने हेतु कार्यदायी संस्था का उत्तरदायित्व निर्धारण तथा आंकलित लागत के अतिरिक्त अन्य सम्भावित मद (यदि कोई हो) के लिये भी व्यवस्था का आंकलन पर्यटन विभाग द्वारा सुनिश्चित किया जाय, ताकि बाद में वृद्धि का अवसर न रहे।

भवदीय

(अमृत अभिजात)
सचिव।

संख्या-118/2015/1894(1)/41-2015 तद् दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:

1- प्रमुख स्टाफ आफीसर मुख्य सचिव, उ0प्र0 शासन।
2- प्रमुख सचिव, वित्त विभाग/उद्योग विभाग/नियोजन विभाग/राजस्व विभाग/लोक निर्माण विभाग/वन विभाग/नगर विकास विभाग/आवास विभाग/संस्कृति विभाग, उ0प्र0 शासन।
3- आयुक्त आगरा मण्डल आगरा।
4- जिलाधिकारी, आगरा
5- निदेशक, म्यूजियम ए0एस0आई0, मुख्यालय, नई दिल्ली।
6- प्रबन्ध निदेशक, उ0प्र0 राजकीय निर्माण निगम, उ0प्र0 लखनऊ।
7- भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग, भारत सरकार नई दिल्ली।
8- राष्ट्रीय अभिलेखागार, भारत सरकार नई दिल्ली।
9- उपाध्यक्ष, आगरा विकास प्राधिकरण, आगरा।
10- नगर आयुक्त, आगरा/नगर निगम, आगरा।
11- अधीक्षण, पुरातत्वविद्, ए0एस0आई0 सर्किल आगरा
9- श्री राजा राम वेब अधिकारी, पर्यटन विभाग को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि इसे वेब-साइट पर अंकित करना सुनिश्चित करें।
10- गार्ड-फाइल।

आज्ञा से,

http://shasanadesh.up.nic.in

(शिव कुमार पाठक)
उप सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in